5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

133

समक्ष : श्रीमान सदस्य बोर्ड ऑफ रेवन्यु ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांकः निग-2836-I-16 प्रस्तुत दिनांक : 23-08-2016

सरवराहकार सुनील राव पिता स्व. श्री जगन्नाथ राव मराठा
निवासी सुभाष वार्ड सिवनी तह. व जिला सिवनी ....अर्जीदार।

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....उत्तरवादी ।

दिनांक 23.8.16 को श्री ... जैन ... द्वारा प्रस्तुत। ... 23.8.16 50

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

अपीलार्थी निम्न सविनय प्रस्तुत करता है :-

विद्वान जिलाध्यक्ष महोदय सिवनी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1 बी-113 (1)-15-16 सरवराहकार सुनील कुमार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा न्यायालय जिलाध्यक्ष सिवनी के समक्ष दिनांक 26.04.2013 को प्रस्तुत आवेदन के अधीन श्री जगन्नाथ स्वामी जी का निर्मित मंदिर उनके परदादा द्वारा निर्मित निजी मंदिर होने के कारण राजस्व अभिलेखों में मंदिर के नाम दर्ज कृषि भूमियों पर और मंदिर के बैंक खाते में शासन के निर्देश के पालन में प्रबंधक के रूप में कलेक्टर सिवनी का नाम दर्ज किया गया है लेकिन शासन के जारी निर्देश निजी मंदिरो पर लागू न होने के कारण अर्जीदार द्वारा उक्त मंदिर की ग्राम कलबोड़ी, देवरी, जैतपुरकलां एवं पोतलई की भूमियों में से एवं बैंक खातों पर प्रबंधक के रूप में कलेक्टर सिवनी का दर्ज नाम विलोपित करने का अनुतोष याचित किया गया जिसे जिलाध्यक्ष सिवनी द्वारा विचारण के पश्चात् दिनांक 12.07.2016 को पारित आदेश के आधीन जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर में अर्जीदार के पूर्वजो द्वारा मंदिर के रखरखाव, मंदिर में स्थापित देव की पूजा अर्चना के लिए ग्राम कलबोडी, देवरी, जैतपुरकला एवं पोतलई की कृषि भूमियों पर शासन के निर्देश के अनुपालन में दर्ज प्रबंधक के रूप में कलेक्टर सिवनी का नाम राजस्व अभिलेखों में से विलोपित किए जाने का निवेदन विचारणीय न होने से निरस्त किया जाता है का आदेश पारित किया, से दुखी होकर अर्जीदार पर्याप्त आधारो सहित निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रथम अपील प्रस्तुत करता है ।

A.K. Jain Advocate 23.8.16

तथ्य

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि श्री जगन्नाथ स्वामी जी के सिवनी नगर के सुभाष वार्ड स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर के सरवराहकार सुनील राव पिता जगन्नाथ राव जाति मराठा निवासी सिवनी द्वारा दिनांक 26.04.2013 को जिलाध्यक्ष सिवनी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके परदादा श्री भोपत राव द्वारा सुभाष वार्ड सिवनी में उक्त मंदिर का निर्माण कराया गया था और मंदिर की व्यवस्था एवं पूजा अर्चना आदि के लिए उनके स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि ग्राम कलबोडी, देवरी, जैतपुरकलां एवं पोतलई की कृषि भूमि उक्त मंदिर को दान में दी थी जो वर्तमान में उक्त मंदिर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त अपीलार्थी सरवराहकार श्री सुनील राव द्वारा उनके उक्त आवेदन पत्र में विशिष्ट रूप से यह निवेदन कियप गया है कि उक्त श्री जगन्नाथ स्वामी जी का निर्मित मंदिर उनके परदादा द्वारा निर्मित निजी मंदिर है । लेकिन राजस्व अभिलेखों में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2836–एक/2016 जिला सिवनी

सरवराहकार सुनी राव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सिवनी के प्रकरण कमांक 01/बी–113/15–16 में पारित आदेश दिनांक 12–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के परदादा द्वारा स्वयं की भूमि पर निर्मित मंदिर को कलेक्टर द्वारा प्रबंधक के रूप में कलेक्टर सिवनी दर्ज करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नधीन मंदिर निजी भूमि पर स्वयं के द्वारा निर्मित होकर लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतः उस पर कलेक्टर प्रबंधक दर्ज नहीं किया जा सकता है। राज्य शासन के म0प्र0 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के परिपत्र कमांक 745/3693/आ./73 भोपाल दिनांक 12 अप्रेल 1974, परिपत्र कमांक एफ 2–20–सात/शा–8/90 पार्ट फाइल 2/94/300/94 भोपाल दिनांक 21–3–94 एवं परिपत्र कमांक एफ–7/9/05/छः/803 भोपाल दिनांक 24.5.05 अवलोकनीय है। इस संबंध में 2012 आर एन 197 अवलोकनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये। 3/ अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि चूंकि मंदिर जगन्नाथ स्वामी महाराज के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा था तथा पुजारी के रूप में आवेदक कार्य देख रहे थे। कलेक्टर द्वारा उक्त	

मंदिर की भूमि को अवैध रूप से अंतरित न की जा सके इसके लिए कलेक्टर ने न्याहित में राज्य शासन के परिपत्रों द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुरूप मंदिर के प्रबंधक के रूप में कलेक्टर दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रकरण में आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया। कलेक्टर सिवनी के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन चाहा था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 4–5–16 के माध्यम से प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने के प्रस्ताव सहिता प्रतिवेदन कलेक्टर सिवनी को प्रेषित किया, परन्तु कलेक्टर द्वारा पुनः प्रतिवेदन मंगाने पर अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन द्वारा विपरीत टिप्पणी कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करने में त्रुटि की है। प्रकरण में संलग्न खसरों की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जगन्नाथ स्वामी जी के निजी मंदिर के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त मंदिर शासकीय न होकर निजी मंदिर की श्रेणी में आता है। तहसीलदार सिवनी द्वारा जारी कृषि खाता पुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज सिवनी सखराकार सुनीलराव पिता जगन्नाथराव के नाम दर्ज है। राज्य शासन के म0प्र0 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के परिपत्र कमांक 745/3693/आ./73 भोपाल दिनांक

12 अप्रेल 1974 में निर्धारित किया गया है कि– "(2) शासकीय भूमियों का इस प्रकार अनाधिकृत रूप से अपहरण किए जाने से बचाने एवं सुव्यवस्था को दृष्टिगत कर शासन ने पूर्ण विचारोपरांत यह निर्देश दिये हैं कि राज्य में खसगी ट्रस्ट के अन्तर्गत न होने वाले मंदिरों को भूमि पर खसरे में पुजारी के नाम के साथ–साथ कलेक्टर का भी नाम प्रबंधक की हैसियत में अंकित किया जाये।"

इस संबंध में 1985 रा नि 314 में मान0 उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक उद्धरण प्रतिपादित किया है–

"स्थाई आदेश और ज्ञापन अवैध नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कलेक्टर या अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे विधि की प्रकिया के अलावा कार्यवाही करें। ये निर्देश तथा मार्ग–निर्धारण शासकीय संपत्ति और सार्वजनिक मंदिरों के प्रबंध तथा प्रशासन के लिए है। स्थाई आदेश अथवा ज्ञापन द्वारा निजी मंदिर या निजी व्यक्तियों की संपत्ति को प्रभावित नहीं करते।"

इसी प्रकार 2012 आर एन 197 में श्री राममंदिर बडवाह विरूद्ध म0प्र0 राज्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"(1) मंदिर – जम्बू पंच समाज के निजी मंदिर की भमि– मंदिर एक शासकीय मंदिर होना साबित नहीं– राज्य सरकार का ज्ञापन कमांक 745/3693/आठ/73 दिनांक 12–4–74 – निजी मंदिरों से लागू नहीं होता – कलेक्टर का नाम मंदिर के प्रबंधक के रूप में अभिलिखित नहीं किया जा सकता। 1985 आर न 317 अनुसरित।

इसी प्रकार 1985 एम.पी. व्हीकली नोट 212 कन्हैयालाल

विरूद्ध म0प्र0 राज्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक उद्धरण प्रतिपादित किया है–

(1) Land Revenue Code, 1959 – S- 158- land belonging to temple and not to a public trust- Collector or any other authority has no right to interfere.

इसके अतिरिक्त म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भोपाल के परिपत्र कमांक परिपत्र कमांक एफ–7/9/05/छः/803 भोपाल दिनांक 24.5.05 में शासन संधारित मंदिरों की भूमियों/सम्पत्तियों का लोक न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत ट्रस्ट गठन कर भूमियों/सम्मत्तियों के स्वत्वाभिलेख में दर्ज "प्रबंधक कलेक्टर" की प्रविष्टि किये जाने बावत प्रसारित किया गया है। उपरोक्त परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टातों में यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि प्रबंधक कलेक्टर शासकीय भूमि/सम्पत्तियों के संबंध में अंकित करने का प्रावधान है न कि निज़ी भूमि/सम्पत्ति पर। कलेक्टर सिवनी द्वारा इस ओर ध्यान आकृषित नहीं किया कि प्रश्नधीन भूमि मंदिर श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज सिवनी की निजी स्वामित्व की है जिसपर प्रावधानानुसार प्रबंधक कलेक्टर अंकित नहीं किया जा सकता था। कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय अथवा लोक न्यास में पंजीकृत होना अभिलिखित नहीं किया है जिससे उक्त भूमि निजी स्वरूप की भूमि परिलक्षित होती है। परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सिवनी का आदेश दिनांक 12–7–16 निरस्त करते हुये राजस्व अभिलेखों में आलोच्य

भूमि मंदिर श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज सिवनी सह प्रबंधक कलेक्टर के नाम की प्रविष्टि विलोपित करते हुये पूर्वानुसार प्रविष्टि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त निजी स्वामित्व की भूमि पर बने मंदिर अथवा निजी देवस्थान भूमि पर प्रबंधक कलेक्टर अंकित करने संबंधी शासन के विधि के प्रावधानों अथवा शासन द्वारा राजपत्रों के माध्यम से यदि कोई निर्देश जारी किये गये हों, तो कलेक्टर उक्त निर्देशों के पालन में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0बी0 जैन)
सदस्य